**अतिआवश्यक**

# राजस्थान सरकार
## निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / IRGY(U) / 2022–23 / 49885-50105 दिनांकः 13/06/2022

1. उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
   स्थानीय निकाय विभाग,
   समस्त राजस्थान।

2. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम / परिषद् / पालिका,
   समस्त राजस्थान।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-U) के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि योजनान्तर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों की कार्यवार पृथक्–पृथक् पत्रावली संधारित किया जाना आवश्यक है। संबंधित पत्रावली में कार्य की प्रस्तावना, Index Map, साईट प्लान, तकमीना, जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक से प्राप्त किया गया अनुमोदन, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति का विवरण, कार्य संपादित किये जाने से पूर्व के, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ एवं भुगतान से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही का विस्तृत एवं स्पष्ट अंकन अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त निर्देशित किया जाता है कि कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग में आने वाली सामग्री जैसे–सीमेंट, बजरी, ईंट, इंटरलॉकिंग टाईल एवं पेंट इत्यादि का निकाय स्तर पर सप्लाई बाबत् टेण्डर किया जाकर MAS रजिस्टर संधारित कराया जाना सुनिश्चित करें।

**इस योजना से संबंधित कार्यों की माप पुस्तिकाऐं, MAS रजिस्टर एवं पत्रावलियों का पृथक् से संधारण किया जावें।**

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःएफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 50106-155 दिनांक : 13/06/2022
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (समस्त), राजस्थान।
4. सम्भागीय अधीक्षण अभियंता (समस्त), स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता